संख्या–16 XXXVI(1)/2011/184/2001–टी.सी.

प्रेषक,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक09 फरवरी, 2011

विषय– मा० उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं जिला बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चम्पावत उधमसिंहनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सृजित पदों की निरन्तरता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–18/XXXVi(1)एक/10–184/01 टी.सी. दिनांक 02 फरवरी, 2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु मूल रूप में शासनादेश संख्या–106–एक/न्याय विभाग/2002 दिनांक 01.05.2002 द्वारा सृजित 23 पदों, मा० उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति हेतु शासनादेश संख्या–12–एक(5)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 21.08.2003 द्वारा सृजित 02 पदों, जिला बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या–15–एक(5)/न्याय विभाग /2003 दिनांक 25.7.2003 द्वारा सृजित कुल 06 पदों जिला उधमसिंहनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या–16–एक(5)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 20.08.2003 द्वारा सृजित 02 पदों, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या–5–एक(5)/छत्तीस(1)/न्याय अनु०/2005 दिनांक11.2.2005 द्वारा सृजित 01 पद एवं शासनादेश संखया–8–एक(5)न्याय अनु०/2003 दिनांक 28.6.2005 द्वारा सृजित 02 पदों अर्थात कुल 36 पदों के कार्यकाल को वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं दिनांक 01.03.2011 से 29.02.2012 तक बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त प्राधिकरणों एवं समिति के कार्यकाल में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति/सेवा शर्ते सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगी ।

3– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष–2011–2012 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–04 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर –800–अन्य व्यय –05–राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण–00" के अर्न्तगत एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिये लेखाशीर्षक "2014 न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–06–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण--00" के अर्न्तगत सुंसगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-1270/76-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 7.11.92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

5- उक्त के साथ ही वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-118 (1)/XXVII (7)/2006, दिनांक 31 अगस्त, 2006 की छायाप्रति इस अनुरोध के संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त पदों के स्थायीकरण के संबंध में शासनादेश में उल्लिखित 09 बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या सहित पदों के स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।

संलग्नक-यथोपरि ।

भवदीय,

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 16XXXVI(1)/2011/184/2001-टी.सी.तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा देहरादून ।
2- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3- जिला न्यायाधीश, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चम्पावत, नैनीताल ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर/नैनीताल बागेश्वर/रूद्रप्रयाग/चम्पावत ।
5- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन०आई०सी०/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव ।